झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची—834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषय :— **राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य के संस्थानों में संचालित AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य किये जाने संबंधी निर्णय।**

....

राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों के विरुद्ध की जा रही नियुक्तियों में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य मानने संबंधित निर्णय विभागीय संकल्प (ज्ञापांक—त0शि0प्र0नि0स0—14/2017—403, दिनांक 12.05.2017) द्वारा निर्गत किया गया।

2) राज्य में कई ऐसे AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान है जो विभिन्न विभागान्तर्गत संचालित हैं एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची से संबद्धता प्राप्त नहीं हैं। इन संस्थानों के छात्र—छात्राओं द्वारा भी उक्त नियोजन हेतु उनके डिप्लोमा को भी इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3) इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य में अवस्थित संस्थानों में संचालित AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/—
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः त0शि0प्र0नि0स0—14/2017 — /रांची, दिनांकः—

प्रतिलिपि : **अधीक्षक,** राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियॉ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, रॉची को प्रेषित की जाय।

ह0/—
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

कृ0पृ0उ0

Scanned by CamScanner

ज्ञापांकः त0शि0प्र0नि0स0–14/2017 – 471 /रांची, दिनांकः– 5/6/17

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के **प्रधान सचिव**/माननीय मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, रॉची के **आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव** सभी विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/17

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

अनु॰-1

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषय :– **राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रॉची द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को इण्टरमीडिएट (10+2) के समतुल्य किये जाने संबंधी निर्णय।**

राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों के विरुद्ध की जा रही नियुक्ति सम्बंधित परीक्षाओं में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची से डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं भी सम्मिलित होते हैं। डिप्लोमा एवं इंटरमीडिएट (10+2) की समतुल्यता सम्बंधित अभी तक राज्य सरकार के निर्णय के अभाव में इन विभागों/परीक्षा संचालित करने वाले आयोग अथवा एजेंसी द्वारा परीक्षाफल प्रकाशन में कठिनाई हो रही थी। साथ ही, लगातार डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं द्वारा भी इंटरमीडिएट (10+2) अर्हता वाले पदों पर नियुक्ति हेतु उन्हें योग्य मानने का अनुरोध किया जाता रहा है।

2) इस संबंध में दिनांक 24.04.2017 को माननीय विभागीय मंत्री–सह–अध्यक्षता में संपन्न राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची की बैठक में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची से डिप्लोमा प्राप्त आवेदकों को भी इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष अर्हता वाले पदों के लिए योग्य समझे जाने की अनुशंसा की गयी। साथ ही, दिनांक 20.04.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न उच्च स्तरीय बैठक में भी इस बात पर सहमती बनी कि डिप्लोमा की उपाधि इंटरमीडिएट (10+2) से उच्चतर होने के कारण इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर नियोजन के दृष्टिकोण से उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा समुचित आदेश निर्गत किया जाय।

3) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तिओं में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य माना जाय।

कृ०पृ०उ०

Scanned by CamScanner

4) उपरोक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक 395 दिनांक 09.05.2017 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2017 में मद सं0–8 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रॉची द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को इण्टरमीडिएट (10+2) के समतुल्य माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः त0शि0प्र0नि0स0–14/2017 – 403 /रांची, दिनांकः– 12-5-17

प्रतिलिपि : **अधीक्षक,** राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियॉ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, रॉची को प्रेषित की जाय।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः त0शि0प्र0नि0स0–14/2017 – 403 /रांची, दिनांकः– 12-5-17

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के **प्रधान सचिव/**माननीय मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, रॉची के **आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव** सभी विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner